फर्द अहककाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्री नारायणलाल काबरा	बनाम	श्री देवकरण काबरा वगैराह

धारा 111—128 एल0आर0एक्ट

मुकदमा 270 / 2022

06.06.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–270 / 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री नारायण लाल पुत्र बालुराम काबरा जाति महाजन निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री देवकरण पुत्र बंशीलाल काबरा जाति महाजन निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री नारायण लाल पुत्र देवीलाल टेलर निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री भगवतीलाल पुत्र देवीलाल टेलर निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री प्रथु पुत्र देवा कुमावत निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री नारायण पुत्र नारू भील निवासी मेघरास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
6. श्री दीपचन्द पुत्र मोहनलाल पण्डा जाति शर्मा निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्री विनोद पुत्र प्यारचन्द टेलर निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
8. श्री जगदीश पुत्र परसराम लखारा निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
9. चान्दी पत्नि बरदीचन्द लखारा निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 06.06.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 ज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रोईकलां प0ह0 कारोईकलां भू0अ0नि0 कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा में त आराजी नम्बर 1778 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, आ0नं0 535 रकबा 0.7587 टेयर,आ0नं0 536 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.3150 टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के क्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी ने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया कर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां भू0अ0नि0 कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1778 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, आ0नं0 535 रकबा 0.7587 हैक्टेयर,आ0नं0 536 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.3150 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां भू0अ0नि0 कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1778 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, आ0नं0 535 रकबा 0.7587 हैक्टेयर,आ0नं0 536 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.3150 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 300/–रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक कारोईकलां 500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 कारोईकलां जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा